



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या-1597-पें0एण्डआर0-28 / पाकालि / 2024-02-पें0एवंआर0 / 2024,

दिनांक 25.07.2024

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

अपर सचिव-प्रथम,
उ0प्र0पा0का0लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

अपर सचिव-द्वितीय,
उ0प्र0पा0का0लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),
उ0प्र0पा0का0लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशा0),
उ0प्र0पा0का0लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय : दिनांक 31.08.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या-227-पें0एवंआर0-28 / पाकालि / 24, दिनांक 13.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निदेशित किया गया है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सभी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्त देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर किया जाये।

उक्त के दृष्टिगत मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने डिस्कॉम के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले केवल जी0पी0एफ0 से आवरित कार्मिकों (सी0पी0एफ0 से आवरित कार्मिकों को छोड़कर) की सूची निम्नांकित प्रारूप पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (ईमेल आइडी-js.ng@uppcl.org) पर दिनांक 03.08.2024 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें :-

क्र0 सं0	नाम	सैप आइडी0	पदनाम एवं तैनाती स्थल	सेवानिवृत्ति तिथि	मोबाइल नम्बर

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

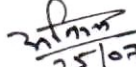
(अनिल कुमार निगम)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)

संख्या-1597(1) / पें0एवंआर0-28 / पाकालि / 24, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 2- अपर सचिव (पारिषण), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4- महानिदेशक (मा0सं0 एवं विकास), वि0प्र0सं0, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनीनगर, लखनऊ।
- 5- संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01) / (अ0प्र0-02) / (स0प्र0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- 7- उप सचिव (अ0प्र0-02ब) / (अ0प्र0-03 / 04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (02अ) / (स0प्र0-11), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 9- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
- 10- लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।


25/07/24

(अनिल कुमार निगम)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 227-पें०एवंआर०-28 / पाकालि / 24-60-पी / 98-टीसी-2018,

दिनांक : 13.02.2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ,
एवं केस्को-कानपुर।

विषय : सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में दीर्घकाल से लम्बित पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ०प्र० पा० का० लि० महोदय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को की गई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर किया जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयों के भुगतान / अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु निर्गत वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : सा०-3 / 1713 / दस-87-933 / 89, दिनांक 28.07.1989 में पेंशन निस्तारण के सम्बन्ध में चरणबद्ध कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश / व्यवस्थायें प्राविधानित हैं।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के उपरोक्त शासनादेश में सेवा-नैवृत्तिक देयों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था / दिशा-निर्देश प्राविधानित होने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर समय से सेवा-नैवृत्तिक देयों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पाने के दृष्टिगत कारपोरेशन के पत्र संख्या-1178-पें०एवंआर०-28 / पाकालि / 19-60-पी / 98, दिनांक 17.10.2019 द्वारा पेंशन प्रकरणों एवं भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के शीघ्र निस्तारण हेतु चरणबद्ध कार्यवाही किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कारपोरेशन के पत्र संख्या : 1178-पें०एवंआर०-28 / पाकालि / 19-60-पी / 98, दिनांक 17.10.2019 द्वारा पेंशन निस्तारण / सेवा-नैवृत्तिक देयों के भुगतान के शीघ्र निस्तारण हेतु चरणबद्ध कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी प्राविधानित व्यवस्थायें / दिशा-निर्देशों का कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन कराये जाने हेतु कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनके सेवानिवृत्ति की तिथि पर किये जाने सम्बन्धी, अध्यक्ष, उ०प्र० पा० का० लि० महोदय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 227-पै0एवंआर0-28 / पाकालि0 / 24 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं केस्को-कानपुर।
- 02 निदेशक (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 03 मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 04 समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 05 अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 06 महानिदेशक, (मा0सं0 एवं विकास), वि0प्र0सं0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 07 अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 08 संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01/अ0प्र0-02/सचि0प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 09 उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10 अधिसाशी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(कमलेश बहादुर सिंह)
(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)